इकाई-2 विद्यालय में परिवर्तन

विद्यालय एक ऐसा संस्था है, जिसके स्वरूप में समय-समय पर बदलाव होते रहता है। यह परिवर्तन बच्चों के विकास में सुधार लाने के लिए किया जाता है। इस माध्यम से बच्चों के शिक्षा में नवाचार आता है और वो नई-नई बातों को सीख पाते है।

* विद्यालय भवन का सृजनात्मक प्रयोग: सीखने सिखाने के माध्यम के रूप में

विद्यार्थियों के शिक्षा में विद्यालय का अहम योगदान होता है। यह सिर्फ ईंट का बना इमारत नही होता है बल्कि यह एक ऐसा जगह है जहाँ बच्चों के कल्पनाशीलता का विकास होता है। यहाँ बच्चों के सृजनात्मकता पर ध्यान दिया जाता है। अतः विद्यालय भवन ऐसा होना चाहिए कि बच्चे सीखने को प्रेरित हो। पाठ्य-पुस्तकों के जुड़ी बातों को दीवारों पर बनाया जा सकता है। जैसे प्राथमिक स्तर के बच्चों के कक्षा के दिवारो पर विभिन्न प्रकार के फल-फूल बनाया जा सकता है। मध्य स्तर के बच्चों को वर्गकक्ष के दीवारों पे विभिन्न प्रकार का चित्र बनाकर लगाने को प्रेरित किया जा सकता है। उन्हें विषय से जुड़ी बातें जैसे विज्ञान में शरीर के अंगों का नाम का रेखाचित्र, भूगोल में सौरमंडल का चित्र इत्यादि बनाकर लगाने को कहा जा सकता है। जिससे भवन आकर्षित भी लगेगा और बच्चों का सृजनात्मक विकास भी होगा।

Scanned by CamScanner

Scanned with CamScanner

Date ___/___/___
Page ___

* शिक्षा अधिकार के अंतर्गत विद्यालयी व्यवस्था में परिवर्तन

शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में पारित हुआ और 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया। इस अधिकार के आने के पीछे लम्बा इतिहास है। 1910 के गोखले बिल से लेकर भारत के आजाद होने तक भारतीय संविधान सभा में शिक्षा के मुद्दे पर बहस होती रही। उस समय इस अधिकार को संविधान के किस भाग में रखा जाए इस पर दो मत थे। पहला यह था कि शिक्षा को मूल अधिकारों में शामिल करना चाहिए और दूसरा था कि नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत अनुच्छेद 45 में शामिल किया जाना चाहिए। अंततः इसे अनुच्छेद 45 में शामिल किया गया और कहा गया कि संविधान लागू होने के 10 वर्ष के भीतर, 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए शिक्षा का व्यवस्था राज्य व केंद्र सरकार द्वारा कर लेना चाहिए।

लेकिन 1993 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उन्नीकृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश सरकार के मुकदमे का निर्णय आया कि इसे मूल अधिकारों के तहत रखना चाहिए। इसीलिए 2002 में संविधान की 86 वें संशोधन विधेयक को पारित किया गया। जिसमें कहा गया कि शिक्षा के अधिकार को जीवन जीने की स्वतंत्रता से जोड़ कर रखना चाहिए। अतः इस अधिकार को अनुच्छेद 21 जो कि जीवन जीने की स्वतंत्रता से संबंधित है, में 21(A) में जोड़ा गया। इस अधिनियम

Scanned by CamScanner

Scanned with CamScanner

को बनाने में आठ वर्ष लग गए और अंततः 2009 में पारित हुआ। इसमें कहा गया कि शिक्षा बच्चों का मूल अधिकार है। सभी बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना सरकार का दायित्व है।

शिक्षा अधिकार अधिनियम का प्रमुख बिंदु निम्नलिखित है—

- 6 से 14 वर्ष की आयु वाले सभी बच्चों को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना राज्य तथा केंद्र ~~सार~~ सरकार की जिम्मेदारी होगी।
- हर एक आवासीय क्षेत्र के 1 किमी दायरे में कक्षा 5 तक का प्राथमिक विद्यालय होगा।
- हर एक आवासीय क्षेत्र के 3 किमी दायरे में एक कक्षा 8 तक का मध्य विद्यालय होगा।
- प्रारंभिक कक्षा यानि कक्षा 8 तक या 14 वर्ष तक के बच्चों को किसी कक्षा में असफल घोषित नहीं किया जाएगा
- किसी भी बच्चे को उसके आयु अनुसार कक्षा में दाखिला दिया जाएगा।
- सभी निजी व सरकारी विद्यालयों में 25% ~~शीट~~ सीट वंचित तथा आर्थिक दृष्टि से कमजोर बच्चों के लिए किया जाएगा।
- जिन बच्चों का नामांकन आरक्षण के आधार पर होगा, उनके फीस का खर्च राज्य व केंद्र सरकार विद्यालय को मुहैया करेगा।
- विद्यालय में प्रवेश देते समय विद्यार्थियों तथा अभिभावकों के साथ साक्षात्कार नहीं किया जाएगा। और आरक्षित कोटे वाले बच्चे से किसी तरह का दानशुल्क नहीं लिया जाएगा।

Scanned by CamScanner

Scanned with CamScanner

* समावेशी शिक्षा के अनुरूप विद्यालय संगठन व प्रबंधन

समावेशी शिक्षा का अर्थ है सामान्य विद्यार्थियों के साथ-साथ विशिष्ट बच्चों को भी समान शिक्षा प्रदान करना। विशिष्ट बच्चों का अर्थ है ऐसे बच्चे जो शारीरिक रूप से विकलांग हो, या उनमें कोई शारीरिक कमियां हो जैसे-चलने में कठिनाई होना, सुनाई नही देना, दिखाई नही देना इत्यादि। इस शिक्षा के तहत ऐसे बच्चों को विद्यालयी वातावरण मे थोड़ा बदलाव कर विशेष प्रशिक्षित शिक्षक द्वारा सहाय उपकरणों की मदद से शिक्षा दी जाती है।

इस शिक्षा के अनुरूप विद्यालय के भौतिक संरचना और संसाधनों में आवश्यकतानुसार बदलाव लाया जाता है, ताकि विशिष्ट बच्चे आसानी से अपना काय कर सके। ब्रेल में किताबें, सांकेतिक भाषा में उपकरणों, स्लाइडिंग सीढ़ियाँ इत्यादि सहाय उपकरणों का व्यवस्था किया जाता है। बच्चों को प्रोत्साहित किया जाता है। साथ में शिक्षा ग्रहण करने से उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा -2005 में भी इसका चर्चा किया गया है और विद्यालय को इस बात का ध्यान रखने को कहा गया है कि कोई ऐसे बच्चों को, अंधा, लंगड़ा इत्यादि उपनामों से संबोधित नही करें। बच्चों को यह एहसास नही होने देना चाहिए कि उनमें कोई अक्षमता है।

Scanned by CamScanner

Scanned with CamScanner

* कला समेकित शिक्षा के माध्यम से विद्यालयी परिवेश एवं कक्षायी शिक्षण में बदलाव

कला समेकित शिक्षा द्वारा बच्चों को कोई भी विषय-वस्तु समझाना आसान होता है। इसके अंतर्गत बच्चों को विभिन्न माध्यम चित्रकला, रेखाचित्र, मॉडल, ग्राफ, गीत-संगीत, नाटक इत्यादि द्वारा शिक्षा दी जाती है। जिससे जटिल विषय-वस्तु भी उनके मस्तिष्क में स्पष्ट हो जाता है। और इस माध्यम से प्राप्त शिक्षा उन्हें बहुत दिनों तक याद रहता है। बच्चों को यह माध्यम रुचिकर और आनंदमय लगता है।

इसीलिए विद्यालय प्रबंधन कला के महत्व को समझती है और विद्यालय परिवेश में कला का माहौल बनाती है। शिक्षकों को निर्देश दिया जाता है कि वह बच्चों को कला के माध्यम से विषय पढ़ाये। बच्चों को कला के लिए प्रेरित करें। बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए विद्यालय प्रबंधन विभिन्न प्रकार के प्रतियोगिता का आयोजन करते है। जैसे - चित्रकला प्रतियोगिता, मॉडल या प्रोजेक्ट बनवाना, गीत-संगीत प्रतियोगिता इत्यादि। विद्यालय में दिन का शुरुआत चेतना सत्र से किया जाता है, यह भी कला प्रदर्शित करने का एक जरिया है। इसमें प्रार्थना, प्रेरक प्रसंग, कविता, लघु कहानी इत्यादि बच्चों द्वारा सुनाया जाता है। इससे बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ता है और उनके व्यक्तित्व में निखार आता है।

Scanned by CamScanner

Scanned with CamScanner

* सूचना व संचार तकनीकी का शिक्षण प्रक्रिया में प्रयोग

वर्तमान समय में सूचना संर संचार तकनीक शिक्षण प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग बन गया है। विद्यालय प्रबंधन में भी यह बहुत मददगार है। विद्यालय समय-सारणी, शिक्षकों और बच्चों का ब्यौरा, परीक्षाफल इस तकनीक के माध्यम से आसानी से बना लिया जाता है। और इसमें वक्त भी कम लगता है। प्रधानाध्यापक इस माध्यम से विद्यालय का लेखा-जोखा स्पष्ट और सुरक्षित रख पाते है।
इससे शिक्षण प्रक्रिया रोचक और आनंदमयी होता है। बच्चों के रंग-बिरंगे किताब इसी को मदद से बनाया जाता है। इस तकनीक के अंतर्गत दृश्य-श्रव्य सामग्री, कम्प्यूटर, मीडिया, स्लाइड, रेडियो, टेप-रिकार्डर, टी.वी इत्यादि उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। कम्प्यूटर द्वारा इंटरनेट का प्रयोग करके कोई भी जानकारी प्राप्त किया जाता है। इस तकनीक के द्वारा विषय से संबंधित चित्र, ग्राफिक्स, विडियो चार्ट बच्चों को दिखाया जाता है। साथ-ही-साथ कभी-कभी इसका आलोचना भी होता है इसके कारण बच्चे हस्तकौशलों से दूर होते जा रहे है। फिर भी यह आज का जरूरत है और इससे कोई भाग नही सकता है। सभी विद्यालयों में इस तकनीक से प्रशिक्षित शिक्षकों का बहाली होने अनिवार्य है।

Scanned by CamScanner
Scanned with CamScanner